सेवा में,

.....

.....

विषय : झारखंड राज्य के अंतर्गत दक्षिण–पूर्व रेलवे के टाटा नगर–खड़गपुर, टाटा नगर–राउरकेला, टाटा नगर–आर्द्रा रेल मार्गों पर रात्रिकालीन ''यात्री रेल यातायात सेवा'' पुनः बहाल करने के बारे में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि विगत 28 मई 2010 को दुर्भाग्यपूर्ण ज्ञानेश्वरी ट्रेन दुर्घटना के बाद से प्रासंगिक रेल मार्गों पर रात में यात्री रेलगाड़ियों का चलना बंद है। कोलकाता–मुबंई, भुवनेश्वर–नई दिल्ली, कोलकाता–पुने, कोलकाता–अहमदाबाद आदि महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर आवागमन रात में ठहर जाता है। रात के 8 बजते ही जो रेलगाड़ी जहाँ है, वह वहीं ठहर जाती है, उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। दूर–दराज के स्थानों से यात्रा कर रहे यात्रियों को रात भर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

जमशेदपुर के नागरिकों के लिए आधी रात की रेलगाड़ियों से कोलकाता जाना, दिन भर वहाँ काम करके पुनः रात में लौट आना एवं कोलकाता से सुबह दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी आदि स्थानों के लिए हवाई जहाज पकड़ना अथवा कोलकता आने वाली देर शाम की हवाई जहाजों से उतरते रात्रिकालीन रेल गाड़ी से जमशेदपुर आ जाना अब संभव नहीं रह गया है।

उल्लेखनीय है कि इन मार्गों पर रात में मालगाड़ियां सुरक्षित चल रही है। परन्तु रेल प्रशासन यात्री गाड़ियों को चलाए जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रेल प्रशासन रात्रिकालीन रेल गाड़ियां चलाए तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा देगीा। उन्होंने रात्रिकालीन रेलगाड़ियों का आवागमन इन मार्गों पर बंद रहने से राँची में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भाग लेने वालों को भी कठिनाईयां हो रही है।

सवाल उठता है कि उपर्युक्त विषयक रेल मार्गों पर रात्रिकालीन यात्री सवारी गाड़ियां नहीं चलाने के पीछे असली उद्देश्य क्या है? क्या इस क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करने में केन्द्र और राज्य की सरकारें सक्षम नहीं है? क्या सरकार ने इस क्षेत्र को स्थायी उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र मान लिया है? क्या केवल यात्रियों को मौत के घाट उतारना ही उन तत्वों का उद्देश्य है, जिन्हें उपद्रवी मानकर रेल प्रशासन रात में ट्रेन चलाने से परहेज कर रहा है? क्या केन्द्र और संबंधित राज्यों की सरकारें ऐसे तत्वों को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है?

मैंने इस संदर्भ में एक जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में दायर की है। इस याचिका पर विचार करने के लिए इसे एक माह बाद उपस्थापित करने की सलाह माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और मौखिक टिप्पणी किया है कि इस बीच जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह विषय केन्द्र सरकार और संसद के सामने उठाकर समाधान का प्रयास किया जाना श्रेयस्कर होगा।

आपसे अनुरोध है कि संसद के आगामी बजट सत्र में रेल बजट पर अथवा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा के दौरान अथवा किसी अन्य नियम के अधीन जनहित के इस विषय की ओर सरकार और संसद का ध्यान आकृष्ट कर उपर्युक्त विषयक रेल मार्गों पर रात्रिकालीन यात्री सेवाओं की पुनः बहाली सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

¼l j ;k jk;½